

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

प्रारूप-6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

सेवानिवृत्ति आदेश

निम्नांकित कार्मिक जो राज्य सेवा में कार्यरत हैं को अधिवार्षिक की आयु पूरी कर लेने पर (सेवानिवृत्ति की तारीख) से, सरकारी सेवा से कॉलम संख्या-5 की दिनांक से सेवानिवृत्त किया जाता है।

क्र.सं	नाम व्याख्याता मय पदस्थापन स्थान सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती	व्याख्याता विषय	जन्मतिथि	अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवा निवृत्ति तिथि
1	2	3	4	5
1	रामजी लाल व्या० राउमावि अमरपुरा जालू, हनुमानगढ़	इतिहास	01.07.1956	30.06.2016
2	ओम प्रकाश रणवां व्या० राउमावि धोलाखेड़ा, झुंझुनू	इतिहास	01.04.1956	31.03.2016
3	पुष्पा असवानी व्या० राउमावि भाटीवाड़, झुंझुनू	इतिहास	02.07.1956	31.07.2016
4	मदन लाल व्या० राउमावि महाराजपुरा, नागौर	इतिहास	01.11.1956	31.10.2016
5	अमर सिंह व्या० राउमावि गौभेरा, भरतपुर	इतिहास	10.06.1956	30.06.2016
6	नरेन्द्र कुमार शर्मा व्या० राउमावि बोराव, चित्तोड़गढ़	इतिहास	01.07.1956	30.06.2016
7	इकबाल हुसैन मेवाती व्या० राउमावि भुपालसागर, चित्तोड़गढ़	इतिहास	06.07.1956	31.07.2016
8	लक्ष्मीलाल बारबर व्या० राउमावि नाड़ाखेड़ा, चित्तोड़गढ़	इतिहास	25.08.1956	31.08.2016
9	अभय सिंह राजपुत व्या० राउमावि बानसेन, चित्तोड़गढ़	इतिहास	20.08.1956	31.08.2016
10	भंवर लाल व्या० राउमावि पिपलिया कला, पाली	वाणिज्य	14.07.1956	31.07.2016
11	कलीम अहमद व्या० राउमावि बोरावड़, नागौर	वाणिज्य	07.02.1957	28.02.2017
12	द्वाराका प्रसाद शर्मा व्या० बीईईओ शाहबाद, बारां	वाणिज्य	01.06.1951	31.05.2011

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित के विरुद्ध आज तक-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।

(बी.एल.स्वर्णकार)

आईएएस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान बीकानेर

क्रमांक - शिदिसा-मा/संस्था/सी-2/31853/सेवानिवृत्ति/2016

दिनांक:- 20/4/2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- (1) संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग,
- (2) संयुक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रायश्चायी निधि विभाग,
- (3) सम्बन्धित उपनिदेशक(माध्यमिक) शिक्षा विभाग
- (4) सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक)
- (5) सम्बन्धित प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याताओं से कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है का दस रुपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र -6 प्राप्त कर अंतिम अर्द्ध प्रमाण पत्र जारी करें।
- (6) संबंधित प्राध्यापक।
- (7) रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)